



छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई (छ.ग.)

॥ निविदा सूचना ॥

क्र. 135/प्रशा/छस्वावितवि/2025

भिलाई, दिनांक 14/08/2025

प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति / प्रदायता के लिए प्रकाशकों / विक्रेताओं के मनोनयन एवं दर अनुबंध हेतु निविदा

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के केंद्रीय पुस्तकालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभिन्न पुस्तकालयों / विभागीय पुस्तकालयों के लिए MRP में अधिकतम छूट के आधार पर पुस्तकों के क्रय के सन्दर्भ में दर अनुबंध हेतु स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक/कोरियर के माध्यम से अहर्ताधारित निविदाकर्ताओं के मनोनयन के लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.csvtu.ac.in/> पर उपलब्ध है। वेबसाइट से प्राप्त निविदा प्रपत्र रु. 3000.00 का बैंक ड्राफ्ट Registrar, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bilhais के नाम से संलग्न करने पर ही मान्य होगा। निविदा के साथ अमानत राशि रु. 1,00,000=00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 15/09/2025 समय अपरान्ह 05:00 बजे तक
2. निविदा खोलने की तिथि – 16/09/2025 समय अपरान्ह 03:00 बजे
3. निविदा खुलने का स्थान – कुलपति सचिवालय सभागार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़)

टीप—निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के **Website: www.csvtu.ac.in** पर देखा जा सकता है।

कुलसचिव

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.csvtu.ac.in/> पर उपलब्ध है।
- 1.2 यह निविदा पुस्तकों के प्रतिष्ठित प्रकाशकों/विक्रेताओं से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छ.ग.) में अनुबंध की तिथि से 01 वर्ष तक विभिन्न विषयों की पुस्तकों के प्रदाय हेतु दर अनुबंध के साथ मनोनयन (Empanelment) करने के सन्दर्भ में आमंत्रित की गई है।
- 1.3 पुस्तकें क्रय करने हेतु निविदा को तीन लिफाफा पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
 (क) लिफाफा "अ" – जमा राशि (सुरक्षा निधि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्रपत्र "ए-1")
 (ख) लिफाफा "ब" – तकनीकी विवरण (समस्त संलग्नक, निविदा प्रपत्र एवं प्रपत्र "ए-2")
 (ग) लिफाफा "स" – वित्तीय विवरण छूट (दरें)
- 1.4 प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः लिफाफा "अ" / लिफाफा "ब" / लिफाफा "स" अंकित होना चाहिए।
- 1.5 उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखें जिसके ऊपर लिखें –
 "प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति / प्रदायता के लिए प्रकाशकों / विक्रेताओं के मनोनयन एवं दर अनुबंध हेतु निविदा"
- 1.6 निविदाएँ कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़) के पते पर केवल स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर से ही स्वीकार की जायेंगी।
- 1.7 पूर्णतः भरे हुए दस्तावेजों को दिनांक 15/09/2025 अपरान्ह 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़) के नाम से केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- 1.8 निविदा जमा करने के अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त किये गये किसी भी प्रपत्र को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 1.9 अंतिम दिनांक 15/09/2025 अपरान्ह 05:00 बजे तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 16/09/2025 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेंगी।
- 1.10 यदि निविदा खुलने के दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है अथवा समिति के सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो निविदाकर्ता फर्मों को खुलने की सूचना पृथक से दिया जावेगा।
- 1.11 प्रक्रिया-1: सर्वप्रथम लिफाफा "अ" सुरक्षा निधि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्रपत्र "ए-1" का लिफाफा खोला जायेगा।
 1.11.1 लिफाफा "अ" में
 ✓ प्रपत्र "ए-1" एवं
 ✓ निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 3,000=00 (रुपये तीन हजार मात्र)
 ✓ सुरक्षा निधि रुपये 1,00,000=00 (रुपये एक लाख मात्र)
- 1.11.2 निविदा प्रक्रिया छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत होगी।

भाग – 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी
(निरंतर)

- 1.11.3 दोनों बैंक ड्राफ्ट निविदा जारी होने की दिनांक के बाद के (कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़) के पक्ष में देय) बने होने चाहिए।
- 1.11.4 दोनों ड्राफ्टों के पीछे "पुस्तक दर अनुबंध हेतु निविदा वर्ष 2025-26" लिखा होना चाहिए तथा फर्म की सील होनी चाहिए।
- 1.11.5 उपरोक्तानुसार सही ड्राफ्ट तथा प्रपत्र "ए-1" मिलने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा। उपरोक्त ड्राफ्ट लिफाफा "अ" में न रख कर अन्य लिफाफे में रखने पर या सही नाम या राशि का ड्राफ्ट न बनाने पर भी निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं प्रक्रिया-2 के लिए मान्य नहीं की जावेगी। (संलग्न करें प्रपत्र "ए-1")
- 1.11 प्रक्रिया-2 : तत्पश्चात लिफाफा "ब" तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा।
लिफाफा "ब" में
- ✓ प्रपत्र "ए-2" एवं
 - ✓ प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर लगाकर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करें।
- इस लिफाफे में प्राप्त समस्त दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जावेगी तथा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो फर्म समस्त शर्तों को पूर्ण करेगी सिर्फ उन्हें ही प्रक्रिया-3 के लिए योग्य माना जावेगा। (संलग्न करें प्रपत्र "ए-2")
- 1.12 प्रक्रिया-3 : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

- 2.1 निविदाकर्ता को पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 अथवा 2024-25 में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय में एकल आदेश के अंतर्गत कम से कम रु. 50 लाख मूल्य की छपी हुई पुस्तकों (Print Books) को प्रदाय करने का अनुभव रहा हो। उक्त वर्ष के एकल आदेश की प्रति एवं उसके संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति के प्रमाणपत्र की प्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.2 निविदाकर्ता का औसत टर्नओवर पिछले तीनों वित्तीय वर्षों में कम से कम रु. 1.5 करोड़ रहा हो। पिछले तीनों वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र एवं आडिटेड बैलेन्स शीट एवं व्यापार तथा लाभ-हानि खाते के सहित तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.3 निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी सात केंद्रीय या राजकीय विश्वविद्यालय या Institute of National Importance में छपी हुई पुस्तकों (Print Books) की संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति की हो। इनके आदेश तथा संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.4 निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्थान से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म द्वारा मूल शपथ पत्र रु. 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोट्राइज्ड कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय। इस तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.5 आयकर के पिछले तीन एसेसमेंट वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) का प्रमाण पत्र/ विवरण की छाया प्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.6 निविदाकर्ता के आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की छाया प्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.7 निविदाकर्ता के वस्तु सेवा कर (GST) रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें। यदि निविदाकर्ता को GST पंजीयन से छूट प्राप्त हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 2.8 निविदाकर्ता का पुस्तक व्यवसाय का भारत में एक स्थायी कार्यालय/शोरूम हो। इस हेतु वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तकनीकी लिफाफा "ब" में संलग्न करें।
- 2.9 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- 2.10 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
- 2.11 सत्र 2025-26 के उपरान्त उपरोक्त निविदा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगामी दो वर्षों के लिए (एक-एक वर्ष करके) और निरन्तर की जा सकती है।
- 2.12 छ.ग. भंडार कय नियम 2002 के उपनियम 4.2 के अनुसार "निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। परन्तु छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्ट-अप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने के दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे -
 1. पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी।
 2. उस पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।
- 2.13 छ.ग. भंडार कय नियम 2002 के उपनियम 4.7(ब) एवं 4.7(स) के अनुसार प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा की औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हे शासकीय कय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जायेगी। इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हे छूट प्राप्त होगी।

- 3.1 निविदाकर्ता को नवीनतम संस्करण की पुस्तकें क्रयदेश के साथ संलग्न सूचियों के अनुसार तथा निर्धारित वित्तीय सीमा में विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय, विभिन्न अध्ययन शालाओं के विभागीय पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय के विभिन्न सेल एवं अन्य विभागों जहाँ का आदेश प्रसारित किया गया हो में सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से प्रदान करनी होगी। फटी हुई, क्षतिग्रस्त पुस्तकें स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की गयी पुस्तकें यदि नवीन संस्करण की नहीं पायी जाती हैं या फोटोकॉपी पुस्तकें पायी जाती हैं या उनमें किसी भी प्रकार का कोई कॉपी राइट का या मुद्रण सम्बन्धी किसी अन्य नियम का उल्लंघन पाया जाता है, जो भविष्य में भी उजागर होता है, तो इसकी पूर्ण जवाबदेही निविदाकर्ता की होगी।
- 3.2 मार्ग में हुई किसी भी प्रकार की हानि, चोरी, आगजनी, दुर्घटना, प्राकृतिक/आकस्मिक आपदा के कारण या अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 3.3 विदेशी प्रकाशन की पुस्तकों के संबंध में कन्वर्शन रेट आर.बी.आई/एस.बी.आई रेट (RBI/SBI Rate) के अनुसार लागू होगा।
- 3.4 निविदाकर्ता पुस्तकों के प्रदाय का परिवहन भाड़ा, दुलाई व्यय, सुपुर्दगी व्यय या अन्य समस्त व्यय वहन करेंगे। "टू पे" या "वी.पी.पी." बिल्टी द्वारा प्रदाय मान्य नहीं होगा।
- 3.5 निविदाकर्ता पुस्तकें प्रदान करने से पूर्व इसकी सूचना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय / विभिन्न अध्ययन शालाओं के विभागीय पुस्तकालयों एवं अन्य विभागों जहाँ का आदेश प्रसारित किया गया है में प्रदान करेंगे जिससे पुस्तकों को रखने की व्यवस्था पूर्व से ही की जा सके।
- 3.6 अधिकतम छूट (डिस्काउंट दर) आधार एवं निविदा की अन्य शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकर्ता को शपथ पत्र रु. 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोट्राइज्ड कर विधिवत अनुबंध पत्र संपादित करना होगा।
- 3.7 विश्वविद्यालय द्वारा क्रय आदेश आवश्यकतानुसार एक मुश्त या पृथक पृथक दिये जा सकेंगे।
- 3.8 यदि एक ही डिस्काउंट रेट पर एक से अधिक निविदाकर्ता सफल होते हैं तो समस्त सफल निविदाकर्ताओं का नाम पंजीबद्ध किया जावेगा। परन्तु इस प्रकार पंजीबद्ध हुए समस्त निविदाकर्ता विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का क्रय आदेश सम्बन्धी दावा नहीं कर सकेंगे। किस निविदाकर्ता को कितने मूल्य का क्रय आदेश देना है यह विषय पूर्णतः विश्वविद्यालय के विवेकाधीन रहेगा। यह भी संभव है कि इस प्रकार पंजीबद्ध हुए निविदाकर्ता को कोई भी क्रय आदेश न मिले।
- 3.9 निविदाकर्ता यदि आदेश में दी गयी अवधि में पुस्तकें/संदर्भ ग्रंथ आदि प्रदाय नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय अन्य किसी भी विक्रेता से पुस्तकें क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 3.10 ऐसे समस्त निविदाकर्ता जो तकनीकी अर्हताएँ पूर्ण करते हैं एवं सफल निविदाकर्ता द्वारा मान्य छूट (डिस्काउंट रेट) पर पुस्तकें प्रदान करने में रुचि रखते हैं, वह भी विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रदायता हेतु अपना नाम पंजीबद्ध करा सकेंगे, जिससे विश्वविद्यालय के पास मान्य छूट (डिस्काउंट रेट) पर पुस्तकें प्रदान करने के लिए अधिकाधिक पुस्तक विक्रेता पंजीबद्ध हो सकेंगे। इस हेतु रुचि रखने वाले निविदाकर्ता को वित्तीय निविदा खुलने के दिन से 07 दिवस में आवेदन करना होगा। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रकार पंजीबद्ध हुए निविदाकर्ता विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का क्रय आदेश सम्बन्धी दावा नहीं कर सकेंगे। किस निविदाकर्ता को कितने मूल्य का क्रय आदेश देना है यह विषय पूर्णतः विश्वविद्यालय के विवेकाधीन रहेगा। यह भी संभव है कि इस प्रकार पंजीबद्ध हुए निविदाकर्ता को कोई भी क्रय आदेश न मिले।

3.23 सफल/पंजीबद्ध निविदाकर्ता को आदेश की 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पुस्तकों को प्रदाय करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति नहीं की गई पुस्तकों के संबंध में उचित साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र, जो भी उचित कारण है देना होगा ताकि अवशेष राशि का उपयोग ससमय अन्य पुस्तकों के क्रय के लिए किया जा सके।

3.24 सफल/पंजीबद्ध निविदाकर्ता को पुस्तक प्रदायता के लिए विश्वविद्यालय में सुरक्षा निधि राशि रू. 1,00,000=00 (रुपये एक लाख मात्र) जमा करना होगा। सफल निविदाकर्ता की लिखित मांग पर उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को सुरक्षा निधि में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस राशि पर ब्याज देय नहीं है।

3.25 सफल/पंजीबद्ध निविदाकर्ता की धरोहर राशि/सुरक्षा निधि जप्त की जा सकेगी यदि –

- अ. वह निविदा खोलने के पश्चात से कार्य अवधि समाप्ति के पूर्व कार्य करने से इंकार करता है।
- ब. उसके कार्य व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय का हित प्रभावित हो रहा है तथा सूचित किये जाने पर भी कार्य व्यवहार में संतोषजनक सुधार नहीं पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में धरोहर राशि/सुरक्षा निधि जप्त कर किसी अन्य पंजीबद्ध निविदाकर्ता को क्रय आदेश जारी करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा तथा आगामी वर्षों में आमंत्रित निविदा के लिए अपात्र होगा।

3.26 आमंत्रित की गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

3.28. पुस्तकों के प्रदायता हेतु न्यूनतम छूट (डिस्काउट) 20% (बीस प्रतिशत) पुस्तकों के वास्तविक मूल्य पर है। बीस प्रतिशत (20%) से कम छूट का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा, भले ही निविदाकर्ता समस्त अहर्ताएं पूरी करता हो। मात्र शासकीय/संस्थागत प्रकाशन, जिस पर प्रकाशक द्वारा छूट नहीं दिया जा रहा है या प्रदत्त छूट कम है, इसके अपवाद होंगे। परन्तु यह भी की इस श्रेणी की आदेशित इन पुस्तकों की आपूर्ति सफल निविदा कर्ता को अनिवार्यतः करनी होगी और छूट सत्यापन हेतु इन प्रकाशनों से क्रय की गई पुस्तकों के देयक की मूल प्रति की छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करनी होगी।

प्रपत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र राशि एवं सुरक्षा निधि)

प्रति,

कुलसचिव,

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, (छत्तीसगढ़)

विषय : पुस्तकें क्रय करने के लिए दर अनुबंध हेतु निविदा वर्ष 2025-26 निविदा प्रपत्र राशि एवं सुरक्षा निधि की राशि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमारे द्वारा लिफाफा 'अ' में दो ड्राफ्ट संलग्न है जो कि कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़ के पक्ष में देय हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) निविदा राशि का ड्राफ्ट मूल्य रुपये 3,000=00 (रुपये तीन हजार मात्र)

बैंक का नाम

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक

बैंक ड्राफ्ट दिनांक

(2) सुरक्षा निधि की राशि का ड्राफ्ट मूल्य रुपये 1,00,000=00 (रुपये एक लाख मात्र)

बैंक का नाम

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक

बैंक ड्राफ्ट दिनांक

प्रत्येक ड्राफ्ट के पीछे लिखा है:-

क - "पुस्तकें क्रय करने हेतु निविदा वर्ष 2025-26"

ख - फर्म की सील

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र ए-2
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव,

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़)

विषय:— पुस्तकें क्रय करने के लिए दर अनुबंध हेतु निविदा वर्ष 2025-26 संस्था की जानकारी बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:—

1	निविदा कर्ता फर्म का नाम व फर्म की श्रेणी (विक्रेता / प्रकाशक / वितरक / स्टाकिस्ट)
2	फर्म का जीवित पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3	फर्म / का काली सूची में (Black Listed) न होने का शपथ पत्र संलग्न करें (रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर)
4	फर्म का स्थायी पता फोन ई-मेल
5	फर्म के प्रोपराइटर / पार्टनर का नाम फोन ई-मेल
6	फर्म के प्रतिनिधि या कार्यकारी साझेदार (पार्टनर) का नाम (जिससे कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की जानी है) फोन ई-मेल
7	निविदा फार्म मूल्य के बैंक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक ड्राफ्ट नं..... दिनांक..... राशि रु 3,000 / - (रु. तीन हजार मात्र) बैंक का नाम शाखा का नाम

8	धरोहर राशि (EMD) बैंक ड्राफ्ट विवरण	बैंक ड्राफ्ट नं..... दिनांक..... राशि रु. 1,00,000=00 ((रुपये एक लाख मात्र) बैंक का नाम शाखा का नाम
9	फर्म का : 1. आयकर परमानेन्ट अकाउण्ट नंबर PAN (प्रमाण की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न कर पृष्ठांकन क्र. लिखें) 2. GST नंबर	
10	फर्म का 03 वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर यदि राशि रु.2.50 करोड़ से उपर है तो –	

प्रमाण-पत्र

मैं/हम निविदाकर्ता ने उक्त निविदा की भाग "1","2" एवं "3" में दी गई समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और मुझे/हमें निविदा की समस्त शर्तें मान्य एवं स्वीकार है मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार पुस्तकें प्रदान करने हेतु तैयार है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(9)

प्रपत्र ए-3
(वित्तीय निविदा)

पुस्तकें क्रय करने के लिए दर अनुबंध हेतु निविदा वर्ष 2025-26

1. Name of Suppliers/Publisher/Distributors

2. Permanent Adress

.....

Phone.....

E-mail

3. Name of representative for official correspondence

Mobile No.

Email

Sr. No.	Publication	Description		Discount (%)		Period of Supply in Days from Order Date
				In Fig.	In Words	
1	Indian Publications	Print	PB			
			HB			
2	Foreign Publications	Print	PB			
			HB			
3	Govt./ Society/ Institution / NGO	Print	PB			
			HB			

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रतिनिधि का नाम

फर्म का नाम